



समाज विज्ञान विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल

PROGRAMME CODE-MSW-21/26

M.S.W. II Semester

Field Work Guidelines

COURSE CODE-MSW-09

Last date of Submission: 31st December 2026

जमा करने की अंतिम तिथि : 31 दिसम्बर 2026

Course Title: Social Work Practicum: an Introduction

कोर्स कोड: MSW- 09

कोर्स शीर्षक : समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास : एक परिचय

Course Code: MSW -09

आवश्यक दिशानिर्देश परास्नातक समाज कार्य के द्वितीय सेमेस्टर में क्षेत्र कार्य अभ्यास की रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2026 है। अतः सभी अध्ययन केन्द्रों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त तिथि तक अपने विद्यार्थियों की क्षेत्र कार्य अभ्यास की रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने की कृपा करें इस तिथि के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।

- छात्रों को अवगत कराया जाता है कि हस्त लिखित फील्ड वर्क की विस्तृत रिपोर्ट ही प्रस्तुत करें, टाईप की गई अथवा फोटो कॉपी की गई रिपोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- सभी अध्ययन केन्द्रों के समाज कार्य विषय के परामर्शदाताओं को अवगत कराया जाता है कि उक्त निदेशिका में दिये गये निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर विद्यार्थियों को क्षेत्र कार्य से सम्बन्धित परामर्श प्रदान करें।
- समस्त द्वितीय सेमेस्टर के शिक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्र कार्य रिपोर्ट को वि० वि० में निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें :-

डॉ० नीरजा सिंह

कार्यक्रम समन्वयक –समाज कार्य

विश्वविद्यालय मार्ग ,तीनपानी बाईपास,

उत्तराखण्ड मुक्त वि वि ,हल्द्वानी -263139

विद्यार्थियों एवं पर्यवेक्षकों हेतु मार्गनिर्देशिका

एम0 एस0 डब्ल्यू प्रोग्राम में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं और सामुदायिक परिप्रेक्ष्य में तत्कालिक क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण हेतु पूरे शैक्षिक सत्र में एक निश्चित अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य समाज कार्य के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार के संस्थाओं, विभिन्न तकनीकियों के प्रयोग, पद्धतियां, व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं परिवर्तन से परिचित कराना है। सामान्यतः समाज कार्य विद्यालय/विश्वविद्यालय अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित करते हैं एवं विभिन्न संस्थाओं का कार्यक्रम बनाते हैं। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम मास्टर ऑफ सोशल वर्क में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को दो फील्ड वर्क करना अनिवार्य है, जिसमें विद्यार्थियों को किसी संस्था में समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास से सम्बन्धित कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना है। अध्ययन केन्द्र के परामर्शदाता एवं छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया नीचे दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करते हुये क्षेत्र कार्य अभ्यास सम्पन्न करें।

विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि एम0 एस0 डब्ल्यू प्रोग्राम में प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में कमशः 20 दिनों का क्षेत्र कार्य अभ्यास प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इस क्षेत्र कार्य अभ्यास में निम्न तथ्यों को अपने फील्ड वर्क में सम्मिलित करेंगे।

- 1 संस्था- जहाँ आप प्रशिक्षण हेतु जा रहें हैं उसका पूरा इतिहास लिखें।
- 2 संस्था का इतिहास एवं प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दें।
- 3 संस्था की गतिविधियों, सहायता का प्रकार एवं क्षेत्र का वर्णन करें।
- 4 संस्था द्वारा ली जा रही सहायता ,सरकारी अथवा गैरसरकारी का वर्णन करें।
- 5 संस्था में यदि समझौता /समाधान बोर्ड व बैठक में भाग लिया है तो उस कार्य की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- 6 यदि आपके द्वारा किसी समस्या को बोर्ड के समक्ष रखा गया है तो उस का वर्णन करें।
- 7 संस्था के माध्यम से आपके द्वारा किये गये समूह कार्य /वैयक्तिक कार्य अथवा सामुदायिक कार्य का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।
- 8 विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिपोर्ट लिखने से पहले समूह कार्य /वैयक्तिक कार्य अथवा सामुदायिक में अनुश्रवण एवं रिपोर्ट लिखने के महत्व एवं तरीके का अवश्य ही ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें, तत्पश्चात रिपोर्ट लिखें।
- 9 विद्यार्थियों एवं संस्था पर्यवेक्षकों हेतु आवश्यक पत्र इस दिशानिर्देशिका के साथ संलग्न है। कृपया इसका उपयोग करें।
- 10 दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार ही क्षेत्र कार्य अथवा फील्ड वर्क की रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी।

नोट:-इस कार्य हेतु समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास प्रशिक्षण पुस्तिका की इकाई संख्या -2 में अभिमुखिकरण के प्रारूप एवं वैयक्तिक समाज कार्य, समूह समाज कार्य एवं सामुदायिक समाज कार्य का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) के गुण

क्षेत्र कार्य सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यावसायिक समाज कार्य कर्ता का ज्ञानार्जन चेतनशील तरीके से होता है जिसमें वह समाज कार्य की निपुणताओं, कौशलों एवं सिद्धान्तों का प्रयोग कर समस्या समाधान का प्रयास करवाता है। क्योंकि इस सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला परिस्थितियों में चैतन्य रहकर अपने ज्ञान का प्रयोग करता है और इस क्रम में वह अपने क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक के साथ प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है जिसमें क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक उसे आवश्यक दिशानिर्देश देता है जिसमें विद्यार्थी क्षेत्र कार्य के अनुभवों को सीखते हैं।

समाज कार्य के क्षेत्र कार्य अभ्यास के अग्रलिखित उद्देश्य हैं -

1. छात्रों को विभिन्न क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में समाज कार्य तकनीकियों के अध्ययन का अवसर देना तथा व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना है।
2. समाज कार्य के भिन्न क्षेत्रों में समाज कार्य के दर्शन तथा सिद्धान्तों के शिक्षण के व्यावहारिक पक्षों के सीखने की प्रक्रिया को गतिमान तथा व्यवस्थित करना है।
3. समाज कार्य अभ्यास में निपुणताओं, तकनीकियों तथा सीखने के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सिद्धान्तों एवं दर्शन का व्यावहारिक उपयोग को सुसाध्य बनाना है।
4. छात्रों में व्यावहारिक ज्ञान के गुणों में वृद्धि करना है जिससे वे विभिन्न स्थितियों में मानवीय व्यवहार की कला का विकास कर सकें।
5. छात्रों को व्यवसायिक निपुणताओं को प्राप्त करने तथा उनमें सामाजिक मनोवृत्तियों का विकास करने में सहायता प्रदान करना।
6. छात्रों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनके गुणों और अवगुणों के आंकलन करने में सहायता करना।
7. छात्रों को प्रभावकारी समाज कार्य अभ्यास में सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के विकास में सहायता करना।
8. छात्रों को समाज कार्य व्यवसाय के प्रति उनकी रुचियों के विकास में सहायता करना।

9. छात्रों को समाज कार्य के क्षेत्र में अपनी जीविका का निर्माण तथा उन्हें भली-भांति व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करना।
10. क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण के विशिष्ट उद्देश्य क्षेत्र कार्य कार्यक्रमों को समायोजित करते हैं तथा विभिन्न पर्यवेक्षीय कार्यों के माध्यम से क्षेत्र कार्य प्रक्रिया को ठीक प्रकार से बना कर रखने का कार्य करते हैं।

क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) में उपस्थिति

आपको क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) में II-सेमेस्टर में 20 दिन, III-सेमेस्टर में 25 दिन एवं 4- सेमेस्टर (Project work) में तीन माह की उपस्थिति सम्पूर्ण दिन हेतु अनिवार्य है, और यदि कोई विद्यार्थी अवकाश लेता है तो किसी अन्य कार्य दिवस में इसकी प्रतिपूर्ति किया जाना आवश्यक है। पहले से कार्यरत किसी शिक्षार्थी जो सारा दिन कार्य नहीं कर सकते उन्हें फील्ड वर्क सुपरवाइजर की अनुमति इसकी प्रतिपूर्ति छुट्टी के लिये अतिरिक्त कार्य करके करना होगा।

यदि किसी कारणवश प्रथम वर्ष में कार्य के दिनों की संख्या कम रहती है तो इसको आपकी सुविधा अनुसार पूरित कर सकते हैं। तो भी, आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रथम वर्ष का क्षेत्र कार्य नए वर्ष के क्षेत्र कार्य के प्रारम्भ होने से पहले ही पूरा किया जाना आवश्यक है।

यदि प्रतिपूरित किये गये दिनों की संख्या 15 दिनों से कम रहती है तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि ब्लाक-प्रतिस्थापना के समय आप इसकी प्रतिपूर्ति करें अर्थात् आपको आवश्यक रूप से लगातार कार्यकर पिछले कार्यों की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

इन सभी विकल्पों का प्रयोग फील्ड वर्क सुपरवाइजर को पूर्व सूचित करके एवं उसकी अनुमति से ही किया जाना होगा।

क्षेत्र कार्य सम्मेलनों (Feild work conference) में उपस्थिति

क्षेत्र कार्य सम्मेलनों में भी उपस्थिति आवश्यक है। इन सम्मेलनों की प्रकृति समस्याओं के प्रति विशिष्ट होनी चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का समान अवसर होना चाहिये। इसमें विद्यार्थी द्वारा उनकी अपनी उपलब्धियों और विफलताओं को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यह चर्चा पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होना चाहिये।

क्षेत्र कार्य (Feild work) हेतु कार्यकर्ता को कुछ तैयारी करनी होती है जिसका वर्णन निम्नवत है—

1. एजेन्सी (संस्था) की विस्तृत जानकारी एवं इतिहास को जानना।
2. एजेन्सी(संस्था) में क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक, कर्मचारियों व उपभोगताओं से सम्बन्ध स्थापित करना।
3. एजेन्सी (संस्था) में अपनी भूमिका एवं स्थिति का पता लगाना तथा उसे स्वीकार करना।
4. संस्था और समाज कार्य कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्मचारियों से परिचित होना तथा संस्था में अपने कार्य को समझना।
5. संस्था में कार्यकर्ता द्वारा संपादित किये जाने वाली भूमिकाओं एवं कार्यों को समझना।
6. संस्था में कार्यकर्ता द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करना एवं निश्चित समय सारिणी बनाना ताकि अतिरिक्त भार से बचा जा सके।
7. समाज कार्यकर्ता द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों से सम्बन्धित निपुणताओं की पूर्ण जानकारी होना।
8. व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों एवं उसके द्वारा संपादित की जाने वाली भूमिकाओं का निर्धारण करना।
9. संस्था में अपनी भूमिकाओं का निर्धारण होना।
10. व्यावसायिक (पेशेवर) सामाजिक कार्यकर्ता की मर्यादाओं का पालन करना।

1. सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य से सम्बन्धित शीर्षक

- a) किसी संस्था में भर्ती हुये मादक द्रव्य सेवार्थी की वैयक्तिक इतिहास का अध्ययन तथा निदान एवं मूल्यांकन करना।
- b) किसी सीजोफ्रेनिक सेवार्थी का वैयक्तिक इतिहास लिखते हुए निदान एवं उपचार प्रदान करना।

- c) किसी ऐसे व्यक्ति का वैयक्तिक इतिहास लेना जो गम्भीर दुर्घटना का शिकार हुआ हो।
- d) किसी ऐसे सेवार्थी हेतु पुर्नवास के लिए प्रयास करना जो मादक द्रव्यों का सेवन करता हो।
- e) किसी ऐसे सेवार्थी हेतु परामर्श की व्यवस्था करना जो अवशाद ग्रस्त हो।

2. सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य से सम्बन्धित शीर्षक

- a) किसी ऐसे सामाजिक संस्था में गूगें-बहरें बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।
- b) किसी ऐसे ग्राम में जहां पर महिलाओं की स्थिति दयनीय है उनको स्वयं सहायता समूह बनाने में सहायता प्रदान करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना।
- c) किसी विद्यालय के बच्चों हेतु पिकनिक कार्यक्रम का आयोजन करना।
- d) किसी ग्राम के प्रौढ सदस्यों हेतु प्रौढ शिक्षा का आयोजन करना।
- e) किसी विद्यालय के बच्चों में प्रतियोगिता आयोजित करना।

समाज कार्य क्षेत्राभ्यास में समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थान की भूमिकाएँ

समाजकार्य क्षेत्राभ्यास में प्रशिक्षण संस्थाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं। जिससे समाजकार्य प्रशिक्षणार्थियों के विकास में सहायता प्राप्त होती है। देखा जाय तो समाज कार्य के सिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप प्रशिक्षण संस्थाएँ ही प्रदान करती हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिकाएँ अग्रलिखित हैं –

1. व्यवसायिक निपुणताओं का विकास वास्तविक सीखने के तथा प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर ज्ञान प्रदान करना।
2. सूक्ष्म स्तर पर समस्याओं का समाधान करने की निपुणताओं का विकास करना।
3. सिद्धान्त तथा अभ्यास के एकीकरण का विकास करना।
4. ऐसी निपुणताओं का विकास करना जो प्रशिक्षण के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है।
5. ऐसी उद्देश्यपूर्ण व्यवसायिक अभिरुचियों का विकास करना जो आंशिक तथा पूर्ण न्यायिक मनोवृत्तियों से सम्बन्धित होती हैं।
6. व्यवसायिक मूल्यों तथा वचनवद्धता का विकास करना जिसमें मानव प्रतिष्ठा का सम्मान व अधिकारों की सहभागिता के लिए उत्तरदायित्व होते हैं।
7. दूसरों के व्यवसायिक विचारों की जागरूकता का विकास करना।
8. ऐसा उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का अनुभव जो मार्गदर्शन के द्वारा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में ज्ञान, निपुणताओं तथा मनोवृत्तियों का व्यावसायिक विकास करता है।
9. ज्ञान, निपुणताओं तथा मनोवृत्तियों के प्रति व्यवसायिक मनोवृत्तियों का विकास करता है।
10. आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सहायता के लिए समाजकार्य की पद्धतियों से अर्जित की गयी निपुणताओं का विकास करना। जैसे – सहभागिता, अवलोकन, अंतःक्रियाएं, संचार आदि।
11. अध्ययन में सिद्धांत एवम् अभ्यास के सहसम्बन्ध की क्षमता का विकास तथा वृद्धि करना।

समाज कार्य क्षेत्राभ्यास(Feild work) में समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थान की अपेक्षाएँ

समाजकार्य क्षेत्राभ्यास में समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थानों से अपेक्षाएँ यह रहती हैं कि वे समाज कार्य विद्यार्थियों को उचित माहौल प्रदान कर उनके समग्र विकास में सहायता प्रदान करें। जिससे वे समाज में अग्रणी भूमिका का निर्वाहन कर सकें। समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थानों से अग्रलिखित अपेक्षाएँ की जा सकती हैं –

1. समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थाएँ समाज कार्य विद्यार्थियों को सैद्धान्तिक रूप से सीखे गये विषयों को पूर्णरूपेण व्यावहारिक रूप में अपनाने में सहायता प्रदान करें।
2. चूंकि समाज कार्य समाज के बीच में रह कर किया जाने वाला कार्य है। अतः समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों को समाज को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण प्रदान करें।
3. समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज कार्य विद्यार्थियों को अभिलेखन क्षमता, परामर्श क्षमता, निदान क्षमता का विकास सुनियोजित तरीके से प्रदान करें।

4. समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समाज कार्य के सैद्धान्तिक पहलुओं को व्यावहारिक पहलु के रूप में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करें।

समाज कार्य प्रशिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों को एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें जिससे समाज कार्य के विद्यार्थी अपने वृत्ति का उपायोजन कर सकें।

समाज कार्य में क्षेत्रीय कार्य पर्यवेक्षण (Field Work Supervision)की अवधारणाएं –

1. संकाय सदस्य द्वारा पर्यवेक्षण
2. अभिकरण पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण

संकाय सदस्य छात्रों को समाज कार्य की तकनीक, अवधारणाएँ, सिद्धान्त, दर्शन, प्रणालियाँ तथा पद्धतियों को समाज कार्य के सिद्धान्तों को मूल्यों के आधार पर अभ्यास करने का मार्ग दर्शन प्रदान करते हैं। जिससे छात्र इस सिद्धान्तों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ कर व्यावसायिक सेवाओं के द्वारा सहायता करने का कार्य कर सकें।

अभिकरण पर्यवेक्षक छात्रों को समाज कार्य की पद्धतियों, निपुणताओं, ज्ञान व प्रणालियों की दक्षता का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे इन तकनीकियों का उपयोग वास्तविक क्षेत्रों में आपेक्षित कल्याण सेवाएं, पीड़ित, निर्धन, असहाय व जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रदान कर सकें।

व्यावसायिक निपुणताओं को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो अति आवश्यक घटक हैं –

1. संकाय पर्यवेक्षक
2. अभिकरण पर्यवेक्षक

पूर्व की अवधारणाओं में सिद्धान्त व अभ्यास एक सहायक रूप से क्षेत्रकार्य प्रशिक्षण में थे परन्तु बाद में कार्य के परिप्रेक्ष्य में प्रयोगात्मक मार्गदर्शन, प्रासंगिक प्रयोगात्मक कार्य तथा कार्य का पर्यवेक्षण के रूप में परिवर्तित हो गया है।

दूसरे शब्दों में समाज कार्य में पर्यवेक्षण शब्द 'एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति या पर्यवेक्षक को अधिक रूप से जानकर तथा वैयक्तिक संरचना द्वारा सक्षम गुण प्रदान कर, व्यावसायिक रूप से छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक उपकरणों जिनमें पर्यवेक्षीय निर्देश, पर्यवेक्षीय अंतःक्रियाएँ, सम्बन्ध व्यावसायिक निपुणताओं व तकनीकियों से वैयक्तिक और सामूहिक गोष्ठियों से प्रशिक्षित करता है।'

समाज कार्य में क्षेत्रकार्य पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्षेत्रकार्य पाठ्यक्रम का विकास करना, सिद्धान्त एवं अभ्यास का एकीकरण करना, तथा एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें छात्र समाज कार्य सिद्धान्त व दर्शन के व्यावहारिक पक्षों को सीख सकें। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा आदर्शों पर निर्भर करता है जहाँ पर उत्तरदायित्वों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसी कारण समाज कार्य पर्यवेक्षण के निम्नलिखित कार्य समायोजित किए गए हैं –

1. यह एक चेतन सामान्य उद्देश्य है जो छात्रों को उनके इच्छित लक्ष्य प्रदान कर व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता बनने में सहायता करता है।
2. यह व्यक्तियों के कल्याण तथा सामाजिक सेवाओं के मूल्यों के प्रति सामान्य रुचि प्रदान करता है।
3. अनुभवी व्यक्तियों के समक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध के साथ परिक्षित निपुणताएँ एवं उद्देश्य जिसे छात्र पहचान सकें।
4. पर्यवेक्षकों तथा छात्रों के मध्य अपनी-अपनी भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों के प्रति एक पारस्परिक समझदारी व अनुबंध होता है।
5. कार्य को 'कब व क्यों' के आधार पर परिस्थितियों एवं कार्य प्रणालियों का स्पष्टीकरण होता है।
6. एक पारस्परिक संचार जो पर्यवेक्षकों तथा छात्रों के सीखने के संभव स्रोतों को चिन्हित करता है।
7. पर्यवेक्षक में विनोदी स्वभाव, अपने साथियों के प्रति स्नेह तथा छात्रों को व्यावहारिक क्षेत्र की वास्तविकता को समझने की योग्यता होती है।

क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण के प्रारूप

संकाय पर्यवेक्षक का प्राथमिक उत्तरदायित्व छात्रों को उनके अपने-अपने क्षेत्रों में सैद्धान्तिक शिक्षा तथा अभ्यास के प्रति रुचि प्रदान करना है। इन प्राथमिक उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर व्यावसाय, क्षेत्रीय अभिकरण व छात्रों पर आधारित संशोधित क्षेत्र पाठ्यक्रम की संरचना के

निर्माण में रुचि लेना है। विकसित क्षेत्र कार्य, व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के साथ संकाय पर्यवेक्षक छात्रों को एक ऐसा वातावरण बनाने में सहायता करता है जिसमें व्यवहारिक परिस्थितियों में सिद्धान्त व अभ्यास का एकीकरण हो। पर्यवेक्षक विशेष प्रकार की अवधारणाओं, भावनाओं और मनोवृत्तियों का प्रशिक्षण देता है जिससे वह तीन मुख्य शिक्षण, प्रशासन तथा सहायता की भूमिकाओं का निर्वाहन करता है। क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण के अग्रलिखित प्रारूप है –

1. अभिमुखीकरण प्रारूप

इस प्रकार के क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण में छात्रों को क्षेत्रकार्य कार्यक्रमों, समाज कार्य क्षेत्र की प्रक्रियाओं, समाज कार्य के क्षेत्र का सामान्य उद्देश्य तथा छात्रों की सामान्य अपेक्षाओं के बारे में व्याख्या प्रदान करना।

2. परिचय प्रशिक्षण प्रारूप

इस प्रारूप के अन्तर्गत संकाय पर्यवेक्षक छात्रों को अभिकरण या क्षेत्र से परिचय करवाता है। इसके साथ ही वह सेवार्थी प्रणाली में छात्रों की भूमिका तथा सेवार्थी प्रणाली की प्रकृति के बारे में भी बताता है। पर्यवेक्षक छात्रों को विभिन्न स्तर पर व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित करने का मार्ग दर्शन प्रदान करता है और अभिकरण पर्यवेक्षक के साथ व्यवसायिक सम्बन्ध बनाकर अभिकरण के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करता है। पर्यवेक्षक छात्रों को प्रतिवेदन तैयार कराने में मार्गदर्शन कराता है।

3. प्रयोगात्मक क्रियान्वयन प्रारूप

प्रयोगात्मक क्रियान्वयन प्रारूप में संकाय पर्यवेक्षक छात्रों को आवश्यकताओं की पहचान करना, संसाधनों में प्रबन्ध का क्रमिक विकास करना, संकायों को दूर करना, अनुभवों को बांटना, जागरूकता का विकास करने में सहायता करता है।

4. क्षेत्र कार्य मूल्यांकन प्रारूप

मूल्यांकन प्रारूप के अन्तर्गत संकाय पर्यवेक्षक छात्रों को अपने अनुभवों के आधार पर मूल्यांकन की विधियों का प्रतिपादन करना तथा उन्हें मूल्यांकन की प्रणाली तथा प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है।

क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण की पद्धतियां

क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण अपने प्रणाली पर आधारित तथा सम्बन्धित है जो पर्यवेक्षक की कार्य पद्धति में शुरू से अंत तक फैली हुई है। जो कार्यक्रम के आरंभ से लेकर प्रशिक्षण के अंत तक होती है। पर्यवेक्षक छात्रों में निपुणताओं को सफलतापूर्वक विकास करने में प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार के उठाये गये कदम तथा पद्धतियां समाज कार्य में क्षेत्र कार्य प्रशिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण में निम्नलिखित पद्धतियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है –

1. अध्यापक तथा छात्रों का वैयक्तिक विचार विमर्श।
2. अध्यापक तथा छात्रों का समूह सम्मेलन।
3. छात्रों की क्षेत्र कार्य विचार गोष्ठी।
4. मौके पर पर्यवेक्षकों द्वारा दिये गये निर्देश।

वास्तव में समाज कार्य के क्षेत्राभ्यास का पर्यवेक्षण दूरस्थ शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समाज कार्य अभ्यर्थी संस्थागत छात्र के रूप में नहीं होते हैं और वे हमेशा पर्यवेक्षकों के पास भी नहीं आ पाते हैं। अतः समाज कार्य के क्षेत्र अभ्यास हेतु निम्नलिखित बिन्दु पर्यवेक्षकों हेतु दृष्टिव्य है –

1. अभिमुखीकरण विजिट का आयोजन कर क्षेत्र कार्य अभ्यर्थियों से प्रतिवेदन लिखवाना एवं उचित सलाह देना।
2. स्थानन प्रक्रिया के तहत समाज कार्य के अभ्यर्थियों को स्थानित कर संस्था के अधिकारियों से मिलवाना तथा संस्था की क्रिया विधियों का अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखन करा कर डायरी बनवाना।
3. संस्था सेवार्थी सम्बन्धों को मृदु बनाने हेतु अभ्यर्थियों को उचित सलाह देना तथा समाज कार्य के सैद्धान्तिक पहलुओं को अमल में लाने के लिए प्रेरित करना।
4. अन्य कार्य हेतु उत्तरदायित्वों को अभ्यर्थियों को प्रदान करना— समाज कार्य अभ्यर्थियों को समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास तथा सैद्धान्तिक अभ्यास हेतु कार्यों का वितरण करना चाहिए तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन कर उचित निर्देश देकर उन्हें विश्वविद्यालय को प्रेषित करना चाहिए।

5. प्रशासनिक कार्य सौपना – दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत पर्यवेक्षण में समाज कार्य अभ्यर्थियों के लिये प्रशासनिक कार्य सम्बन्धी अध्ययन की सामग्री एकत्र करने हेतु पर्यवेक्षक को चाहिए कि अभ्यर्थियों से तथ्यएकत्रित करवायें व उन्हें अभिलिखित करवायें।

नोट:—मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एम0 एस0 डब्ल्यू)प्रोग्राम में क्षेत्र कार्य निर्देशन हेतु एक पुस्तिका का निर्माण किया गया है जो कि एम0 एस0 डब्ल्यू –10समाज कार्य क्षेत्र अभ्यास एक परिचय के नाम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। अतः मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एम0 एस0 डब्ल्यू)प्रोग्राम के क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षकों एवं छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे क्षेत्र कार्य मार्गदर्शन हेतु इसी पुस्तक का उपयोग करें। यह पुस्तक प्रश्न पत्र संख्या-09 एवं प्रश्न पत्र संख्या-13 हेतु उपयोगी है।



विद्यार्थी का नाम..... सेमेस्टर.....

संस्था का नाम जहाँ कार्य किया जा रहा है.....

क्षेत्रीय केन्द्र का नाम व कोड.....

विद्यार्थी द्वारा भ्रमण किये गये कुल दिनों की संख्या.....

[illegible]

संस्था पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली समेकित रिपोर्ट का प्रारूप

यह समेकित रिपोर्ट संस्था पर्यवेक्षक द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी जिसमें संस्था पर्यवेक्षक द्वारा विद्यार्थी को दिये गये कार्य के प्रारूप का विवरण होगा। (यह रिपोर्ट संस्था पर्यवेक्षक द्वारा विद्यार्थी के प्रशिक्षण अवधि के पूरा हो जाने के बाद प्रस्तुत की जायेगी।)

1. संस्था का नाम एवं पता.....
2. विद्यार्थी का नाम.....
3. विद्यार्थी का पता एवं फोन नं०.....
4. नामांकन संख्या.....
5. क्षेत्रीय केन्द्र का नाम व कोड.....
6. फील्ड वर्क से सम्बन्धित विवरण.....
7. संस्था में फील्ड वर्क प्रारम्भ करने की तिथि.....
8. संस्था में फील्ड वर्क समाप्त करने की तिथि.....
9. फील्ड वर्क में विद्यार्थी की उपस्थिति.....
10. विद्यार्थी को आबंटित किये गये कार्य की प्रकृति.....
11. विद्यार्थी द्वारा किये गये कार्य सम्पादन की उपलब्धी.....
12. संस्था पर्यवेक्षक का नाम जिनके संरक्षण में विद्यार्थी ने कार्य संपादित किया
.....
13. संस्था पर्यवेक्षक की टिप्पणी
.....
.....
.....

नोट : यहां पर संस्था पर्यवेक्षक की टिप्पणी (13) से आशय है विद्यार्थी द्वारा किये गये कार्यों से संस्था पर्यवेक्षक की संतुष्टी से है कि संस्था पर्यवेक्षक द्वारा आबंटित किये गये कार्य में विद्यार्थी कितना सफल रहा तथा वह फील्ड वर्क के प्रशिक्षण में समाज कार्य की कुशलताओं का प्रयोग कर कितना लाभांवित हुआ। इस हेतु आप विद्यार्थी को टिप्पणी के साथ A/B/C श्रेणी में विद्यार्थी की उपलब्धी को दर्शाएँ।

To Whomsoever it may concern

This is to certify that Ms. /Mr. Son/ daughter of.....is the student of Uttarakhand Open University .s/He is pursuing MSW(Master of Social Work) programme from this University with enrolment no.....In this programme s/He requires a 20 days field work training/internship to complete the curriculum work .We will appreciate if the student is appointed as an intern in your prestigious organization for an exposure in Social Work.

Name and code of Study Centre:

Study Centre coordinator name and signature:

